संख्या-33/2016/2983/26-2-2016-100(1)/2013

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकः 28 दिसम्बर, 2016

विषयः- समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जा रहे परिवारों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि 01 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.15 प्रतिशत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाजवादी पेंशन योजना के संचालन/प्रचार-प्रसार हेतु शासनादेश सं0-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07.02.2014 द्वारा प्रशासनिक व्यय मद में उक्त योजना के कुल बजट के 01 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की गयी थी।

2- इस संबंध में उक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2014 द्वारा समाजवादी पेंशन योजना की प्रशासनिक व्यय मद में कुल बजट का निर्धारित 01 प्रतिशत की धनराशि को बढ़ाकर 1.15 प्रतिशत किया जाता है।

3- कृपया पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय, शासनादेश दिनांक 07.02.2014 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-2983(1)/26-2-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(5) प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

(7) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(8) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

(9) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

(10) निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

(11) गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।